राजस्थान एनवायरमेन्ट एण्ड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड, राजस्थान सरकार (रिहेब) द्वारा खनन जनित बिमारी से पीड़ितों/ मृतकों के विधिक उत्तराधिकारी को आर्थिक सहायता बाबत् कमागत कार्यवाही का विवरण

खनन क्षैत्र → जिला क्षय अधिकारी द्वारा मेडिकल कैम्प में खनन श्रमिक की जॉच → जिला क्षय चिकित्सालय का प्रमाण-पत्र → सम्भावित सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिक → संभागीय न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड द्वारा परीक्षण → सिलिकोसिस खनन पीड़ित पुष्टि → प्राचार्य मेडीकल कॉलेज द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पुष्टि प्रमाण-पत्र → जिला कलक्टर पीड़ित खनन श्रमिक को रीहेब योजना से सहायता हेतु प्रस्ताव → प्रमुख शासन सचिव, खान विभाग → आर्थिक सहायता प्रस्ताव रीहेब की बैठक में निर्णय/ अनुमोदन हेतु सम्मिलित → बैठक निर्णय अनुसार वित्त विभाग द्वारा आवश्यक आर्थिक सहायता हेतु स्वीकृति आदेश → जिला कलक्टर एवं प्रमुख शासन सचिव, खान विभाग → निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग को राशि स्वीकृति बाबत् आदेश → निदेशालय से सम्बन्धित जिला कलक्टर को राशि आवंटन स्वीकृति पत्र → जिला कलक्टर द्वारा राशि वितरण हेतु सम्बन्धित जिला कोष/ उप कोष अधिकारी को राशि आवंटन पत्र → एस.डी.ओ./तहसीलदार द्वारा सम्बन्धित खनन पीड़ित को पुष्टि उपरान्त राशि वितरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी करना→ जिला कलक्टर को राशि वितरण का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होना → निदेशालय खान को उपयोगिता प्रमाण-पत्र भिजवाना → प्रमुख शासन सचिव खान एवं वित्त विभाग को उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेज कर वितरण की गई राशि की जानकारी उपलब्ध करवाना ।

राजस्थान एनवायरमेन्ट एण्ड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड, राजस्थान सरकार (रिहेब) द्वारा खनन जनित बिमारी से पीड़ितों/मृतकों के विधिक उत्तराधिकारी को आर्थिक सहायता कार्यवाही का विवरण

सिलिकोसिस/ऐस्बेस्टोसिस पीड़ित/मृतकों के परिवार जनों को आर्थिक सहायता न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड द्वारा किये गये परीक्षण रिपोर्ट/पुष्टि प्रमाण-पत्र के आधार पर पीड़ित श्रमिकों को रूपया 1.00 लाख एवं मृतक के आश्रितों को रूपया 3.00 लाख सम्बन्धित जिला कलक्टरों को उपलब्ध करवाई गई सूची अनुसार वित्त विभाग की स्वीकृति उपरान्त सम्बन्धित जिला कलक्टर के माध्यम से पीड़ितों/मृतकों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता जिला कलक्टर स्तर से उपलब्ध करवाई जाती है ।

खनन क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति का सम्भागीय मेडिकल कॉलेज में राज्य सरकार द्वारा गठित न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड द्वारा परीक्षण उपरान्त सिलिकोसिस से पीड़ित होने की पुष्टि के आधार पर सम्बन्धित प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज द्वारा निर्धारित निम्न प्रपत्र में सिलिकोसिस से पीड़ित होने का प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है:-

प्रमाण-पत्र

(अ) सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के लिए

'' यह प्रमाणित किया जाता है कि मेडिकल कॉलेज द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार खान श्रमिक श्री/सुश्री/श्रीमती ..... पुत्र / पुत्री /पत्नि श्री ..... आयु .... निवासी तहसील ..... जिला ..... आईएलओ (अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन) प्रोटोकोल की गाईडलाईन्स के अनुसार सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित है ।''

यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक ..... को जारी किया गया ।

हस्ताक्षर

प्राचार्य

..... मेडिकल कॉलेज

प्रमाण-पत्र

(ब) सिलिकोसिस बीमारी के कारण देहान्त होने वाले प्रकरणों में

" यह प्रमाणित किया जाता है कि मेडिकल कॉलेज द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार खान श्रमिक श्री/सुश्री/श्रीमती ..... पुत्र / पुत्री /पत्नि श्री .....आयु ..... निवासी तहसील ..... जिला .....आई.एल.ओ. (अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन) प्रोटोकोल की गाईडलाईन्स के अनुसार सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित था। इसकी मृत्यु सिलिकोसिस बीमारी की कोम्पलीकेशन्स के कारण हुई।" यह प्रमाण-पत्र आज दिनांक ..... को जारी किया गया ।

हस्ताक्षर
प्राचार्य
..... मेडिकल कॉलेज

प्राचार्य मेडिकल कॉलेज के सिलिकोसिस/ऐस्बेस्टोसिस से ग्रसित होने के प्रमाण-पत्र के आधार पर पीड़ित खनन श्रमिक को रीहेब योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार से आर्थिक अनुदान बाबत् प्रस्ताव जिला कलक्टर द्वारा प्रमुख शासन सचिव, खान विभाग को प्रेषित कर रीहेब की बैठक में आर्थिक सहायता बाबत् निर्णय कर आर्थिक सहायता हेतु स्वीकृति पत्र वित्त विभाग राज्य सरकार द्वारा खान विभाग सचिवालय को प्रेषित किया जाता है ।

प्रमुख शासन सचिव खान द्वारा स्वीकृत राशि की सूचना निदेशक खान एवं सम्बन्धित जिला कलक्टर को प्रेषित की जाती है। निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा स्वीकृत आर्थिक सहयोग की राशि अनुसार आवंटन पत्र जिला कलक्टर को प्रेषित करने पर सम्बन्धित पीड़ित को आर्थिक सहायता वितरण करने हेतु राशि जिला कोषाधिकारी को आवंटित की जाती है । आवंटित राशि का चेक सम्बन्धित पीड़ित श्रमिक की पुष्टि कर राशि बैंक खाते में सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जमा करा उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग के माध्यम से खान विभाग/वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर को प्रेषित किया जाता है ।

सिलिकोसिस पीड़ितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की समीक्षा एवं वर्तमान संशोधन

रिहैब की छठी बैठक दिनांक 30.05.2013 की बिन्दु संख्या 3 में सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित खान श्रमिक को रूपया 1.00 लाख की तथा सिलिकोसिस के कारण मृत्यु होने पर खान श्रमिक के विधिक उत्तराधिकारी को रूपया 3.00 लाख की राशि देने के निर्णय लिये गये थे ।

उक्त निर्णय के अनुसरण में सिलिकोसिस पीड़ित खान श्रमिक प्रारूप 'अ' अनुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पीड़ित को रूपया 1.00 लाख नकद तथा सिलिकोसिस के कारण मृत्यु होने पर खान श्रमिक के विधि उत्तराधिकारी को प्रारूप 'ब' अनुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रूपया 1.00 लाख नकद तथा रूपया 2.00 लाख F.D. के रूप में राशि (कुल तीन लाख रूपया दिया जा रहा है) ।

उपयुक्त बिन्दु संख्या 3 की समीक्षा के पश्चात् बोर्ड की दसवी बैठक दिनांक 18.08.2015 द्वारा सिलिकोसिस से पीड़ित के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से निर्णय लिया गया:-

(i) बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया कि पीड़ित खान श्रमिक जो प्रमाण-पत्र प्रारूप 'अ' अनुसार रूपया 1.00 लाख सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है परन्तु सहायता राशि भुगतान से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाती है उस स्थिति में उसके विधिक उत्तराधिकारियों को प्रमाण-पत्र 'ब' प्रस्तुत करने पर कुल रूपया 3.00 लाख, 1.50 लाख नकद एवं 1.50 लाख F.D. देय होगी ।

(ii) बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया कि पीड़ित खान श्रमिक जो पहले प्रमाण-पत्र 'अ' के आधार पर रूपया 1.00 लाख नकद प्राप्त कर चुका है, के विधिक उत्तराधिकारियों के द्वारा उसकी मृत्यु उपरान्त प्रमाण-पत्र 'ब' प्रस्तुत करने पर उन्हें रूपया 3.00 लाख (1.50 लाख नकद एवं 1.50 लाख F.D.) देय होंगे ।

(iii) Fixed Deposit (F.D.) की समय सीमा न्यूनतम 3 वर्ष होगी तथा प्रति वर्ष ब्याज विधिक उत्तराधिकारी के खाते में जमा होगा । F.D. की परिपक्वता पर F.D. का भुगतान मृत खान श्रमिक के विधिक उत्तराधिकारी जिसके नाम से F.D. बनी है, को होगा । इस दौरान यदि विधिक उत्तराधिकारी की भी मृत्यु हो जाती है तो F.D. की राशि नोमिनेशन अनुसार बराबर उसकी संतानों में वितरित की जावेगी ।